



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)

क्रमांक : एफ 12 ()सी.ई./ननिज/2015/247

दिनांक : १४/०५/१५

कार्यालय आदेश

नगर निगम जयपुर द्वारा वर्षा ऋतु से पूर्व नाला सफाई कार्य सम्पादित कराये जाने हैं। इस संबन्ध में पूर्व में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें :-

- मुख्य सफाई निरीक्षक (सीएसआई), सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता की संयुक्त कमेटी प्रत्येक नाले में किये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करें।
- केवल वही कार्य किया जावे जो मौके की स्थिति अनुसार अति आवश्यक है। जिन नालों का कार्य कराना अतिआवश्यक है केवल उन्हीं का लेआउट आवश्यक लम्बाई में दिया जावे।
- जिन नालों की मरम्मत अतिआवश्यक है उन्हे भी पूर्व में चिह्नित कर मरम्मत कार्य सम्पादित किया जावे।
- मुख्य अभियन्ता, अतिः मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जोन आयुक्त एवं अधिशासी अभियन्ता सफाई कार्यों की नियमित मॉनेटरिंग करें।
- नाले के सफाई कार्यों की दैनिक रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय में भिजवाई जावे (ceo.jaipurmc@gmail.com)
- नाले के सफाई कार्यों की स्वतन्त्र पक्ष से Third Party Inspection कराया जाये।
- सफाई कार्य पूर्ण होने पर कार्य का बिल समय पर प्रस्तुत किया जावे।

Sd -

(आशुतोष ए.टी. पेडणकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम जयपुर।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, महापौर/उप महापौर, नगर निगम जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम जयपुर।
4. अतिः मुख्य अभियन्ता, नगर निगम जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम जयपुर।
6. समस्त जोन आयुक्त, नगर निगम जयपुर।
7. समस्त, अधिशासी अभियन्ता (जोन), नगर निगम जयपुर।
8. गार्ड पत्रावली, नगर निगम जयपुर।



मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम जयपुर।